न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 87/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/175

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
पंकज सिंह पुत्र भंवर सिंह, जाति राजपुत, निवासी बस्सी का बास, रताऊ, तहसील लाडनूं, जिला डीडवाना–कुचामन।		1. उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं 2. सज्जन सिंह पुत्र सरदार सिंह, जाति राजपुत, निवासी बस्सी का बास, रताऊ, तहसील लाडनूं, जिला डीडवाना–कुचामन।

मुन्तकिली आवेदन पत्र अधीन धारा 235 आर.टी.एक्ट
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं बाबत्
राजस्व वाद संख्या 305/2024
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 304/2024

आदेश दिनांक : 18.02.2025

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार हैः–

1. प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाडनूं के यहां एक राजस्व वाद संख्या 305/2024 व राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 304/2024 बअनुवान पंकज सिंह बनाम सज्जन सिंह वगैरह के नाम से पेश किया हुआ हैं जिसकी पेशी दिनांक 26.11.2024 की हैं।
2. उक्त दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर पेश किये गये है। जिसमें प्रतिवादी को दिनांक 18.08.2024 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पावन्द किया हुआ है। परन्तु प्रतिवादी/अप्रार्थी सज्जन सिंह जो कि राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है जो अपने राजैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर उक्त स्थगन आदेश राजनैतिक दबाव से निरस्त कराने में लगा हुआ है तथा बार बार प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी के साथ मिलकर उक्त दावे को विधि विरूद्ध फैसल कराने की फिराक में है तथा उक्त प्रकरण की तारीखे भी विधि अनुसार ना देकर अपनी मर्जी से दी जा रही है। कल दिनांक 24.11.2024 को स्पष्ट रूप से धमकी दी और कहा कि उक्त स्थगन आदेश 24 घंटे के भीतर भीतर तुडवा दुंगा।
3. उक्त जमीन प्रार्थी की पैतृक जमीन हैं। वर्तमान में सज्जन सिंह राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर उक्त आदेश अपास्त करवाना चाहता हैं तथा उक्त दावा को अपने पक्ष में फैसल करवाना चाहता है, जिससे [illegible] आगे खुर्द बुर्द किया जा सके। प्रार्थी को न्यायालय उपखण्ड [illegible] उम्मीद नहीं है।
4. वर्तमान उपखण्ड अधिकारी [illegible] एवं अन्य दबाव में है एवं उनके द्वारा मनमर्जी से विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त दावा व प्रार्थना [illegible] कार्यवाही की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.03 10:30:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

5. उक्त पत्रावली की तारीख पेशी दिनांक 24.11.2024 नियत थी। सज्जन सिंह ने उक्त स्थगन खारिज करवाकर उक्त जमीन को आगे खुर्द बुर्द करने की धमकी भी दी है। इस कारण प्रार्थी को उक्त प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाडनूं से निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए भी उक्त दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

अतः उक्त आवेदन पेश कर निवेदन हैं कि राजस्व वाद संख्या 305 / 2024 व राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 304 / 2024 बअनुवान पंकज सिंह बनाम सज्जन सिंह वगैरह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाडनूं के यहां से किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने का सादर आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकिल श्री विकास ठोलिया ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया। जवाब के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार हैः–

1. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 02 सज्जन सिंह को कोई आपत्ती नहीं है।
2. उपरोक्त पत्रावली को शीघ्र निस्तारण किया जाना न्याय हित में आवश्यक एवं न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जावे तथा पत्रावली को स्थानान्तरित कर दिया जावें।

बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी पत्रावली को स्थानान्तर करवाने में सहमत है।

अतः हस्तगत मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी लाडनूं के समक्ष लम्बित राजस्व वाद सं0 305 / 2024 व राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 304 / 2024 उनवान पंकज सिंह बनाम सज्जन सिंह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाडनूं से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना में स्थानान्तरित किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाडनूं उनके समक्ष लम्बित राजस्व वाद सं0 305 / 2024 व राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 304 / 2024 उनवान पंकज सिंह बनाम सज्जन सिंह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के यहां सुनवाई हेतु स्थानान्तरित करें। साथ ही उभय पक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वह प्रकरण में वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के समक्ष दिनांक 04.03.2025 को उपस्थित होवें। अधिनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक **18.02.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.03 10:30:43 IST
Reason: SelfAttested